सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं:. NCST/DEV-3316/JH/145/2024-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 04.11.2025

सेवा मे,

1 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,**
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रांची, झारखंड 834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

2 **उपायुक्त,**
जिला - राँची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

3 **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,**
जिला - राँची
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सुशील उरांव, पिता स्व. श्री बुधुवां उरांव, न्यू शांति नगर, पो.- खलारी, थाना-मैक्लुस्किगंज जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति (बाहरी) लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर खरीद बिक्री करने के संबंध में" ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण कुमार सिंह
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सुशील उराँव,
पिता स्व श्री बुधुवां उरांव ,
न्यू शांति नगर, पोखलारी,
थाना मैक्लुस्किगंज-
जिला -राँची (झारखण्ड) 829205,
Mobile No:9973997313

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल: NCST/DEV-3316/JH/145/2024-RO-RNC

अभ्यावेदक श्री सुशील उरांव, पिता स्व. श्री बुधुवां उरांव, न्यू शांति नगर, पो.- खलारी, थाना-मैक्लुस्किगंज जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति (बाहरी) लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर खरीद बिक्री करने के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को अपराह्न 02:10 बजे अयोग के मुख्यालय लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ली मे हुई सिटिंग क कार्यवृत ।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 08.10.2025 अपराह्न 02:10
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

अभ्यावेदक सुशील उराँच, पिता-स्व. श्री बुधुवा उराँव, ग्राम-न्यु शांति नगर, पो०-खलारी, थाना-मैक्लुस्किगंज, जिला-राँची, झारखण्ड ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि मौजा-विश्रामपुर, प्रखण्ड-खलारी का खाता संख्या-31 का प्लॉट एवं रकबा 440-25 डि०, 442-70डि० 612-44डि0, 613-48डि०, 570-46डि0. 594-06डि0, 51-1.34डि0, 69-17डि0, 77-55डि०, 99-77 डि०. 119-32 डि०, 198-64 डि०. 15-34 डि०. 242-09 डि०. 441-97 डि0, 567-1.15 डि०, 379-34 डि०, 453-68 डि०. 443-85डि0 (कुल प्लॉट-19, कुल रकबा 11 एकड़ 15 डि०) जिसे उनके पुर्वज स्व० श्री नेतो उराँव ने सन् 1966 में डीड संख्या 1268 Book No. 1, Vol No. 24, Page No. 506/509 के द्वारा उक्त जमीन सैयद कासीम, पिता-सैयद रफीउद्दीन, पता-हिन्दपीढ़ी राँची से खरीदा था एवं दाखील-खारीज कराकर राजस्व रसीद एवं स्व० श्री नेतो उराँव के नाम से निर्गत हुआ एवं वर्त्तमान समय में भी राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है लेकिन कुछ समय से उक्त जमीन के कुछ प्लॉटों का सैयद कासीम पिता सैयद रफीउद्दीन के नाम से भी राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है इसमें कुछ भू-माफिया जमीन दलालों एवं अंचलाधिकारी के मिलीभगत से उनकी जमीन का खरीद-बिकी सैयद रफीउद्दीन के वंशज मो० गोल्डी, पता-बाजार टाँड, पो०-खलारी, थाना-मैक्लुरिकगंज के द्वारा किया गया तथा उक्त जमीन को हथियाने के लिए दिन प्रतिदिन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का उनके जमीन पर आना-जाना लगा रहता है। अभ्यावेदक ने यह उल्लेख किया है कि इस संबंध में उन्होने कई बार अंचल कार्यालय एवं थाना प्रभारी - खलारी में शिकायत दर्ज कराई है किन्तु किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और समस्या को अनदेखा किया गया। अभ्यावेदक ने आयोग से प्रकरण पर जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कारवाई करने का अनुरोध किया है ।

2. उक्त संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 28.11.2024 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, उपायुक्त, राँची (झारखंड) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राँची (झारखंड) को नोटिस प्रेषित किया गया।

आशा लकड़ा

3. प्रकरण में आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के संदर्भ में उपायुक्त, राँची ने पत्रांक 1900(ii)/विधि, दिनांक 10.05.2025 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया कि मामले में प्राप्त जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, खलारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त हुए हैं। अंचल अधिकारी, खलारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि खाता संख्या 31 का मूल खतियान उपलब्ध नहीं है, किन्तु ऑनलाइन खतियान में यह खाता सैयद रफिउद्दीन के नाम दर्ज है तथा संबंधित नामांतरण प्रक्रिया वर्तमान में स्थगित है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची की जांच में यह तथ्य सामने आया कि आवेदक श्री सुशील उरांव के दादा, श्री नेटो उरांव ने वर्ष 1966 में सैयद क़ासीम से 11.15 एकड़ भूमि क्रय की थी, जिसमें से 8.21 एकड़ भूमि CCL द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है एवं शेष 2.94 एकड़ भूमि पर उनका वैध कब्जा है। वर्ष 2015 में उक्त भूमि के एक भाग को पुनः सैयद रफिउद्दीन के नाम ऑनलाइन दर्ज किए जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर अंचल अधिकारी द्वारा आगे की जांच एवं राजस्वीय कार्रवाई की जा रही है।

4. प्रकरण के संबंध में महाप्रबंधक (का एवं औ.सं) सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, राँची(झारखंड) से पत्र म.प्र. (का॰एवंऔ॰सं॰)/ एससी-एसटी-सेल/सुशिल/20257/236 (H) दिनांक 05.02.2025 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार वर्ष 1979 में श्री नेटो उरांव (पिता- श्री चुंडा उरांव) को खाता संख्या 31 के प्लॉट संख्या 15, 51, 69, 77, 99, 119, 198, 242 (कुल 4.28 एकड़) हेतु मुआवजा प्रदान किया गया, जिसके आधार पर उनके पुत्र श्री शंकर उरांव को 07.04.1980 को रोजगार मिला। वर्ष 1989 में खाता संख्या 31 के अन्य प्लॉट (567, 570, 612, 613 – कुल 3.03 एकड़) के लिए पुनः मुआवजा मिलने पर श्री बिनोद उरांव (पुत्र- बिरसा उरांव) को रोजगार दिया गया। श्री शंकर उरांव ने प्लॉट संख्या 379, 440, 441, 442, 453 (कुल 2.94 एकड़) पर स्वामित्व का दावा किया, परंतु अंचल कार्यालय, खलारी के पत्र (25.08.2018) एवं JharBhoomi पोर्टल के अनुसार यह भूमि सैयद जकीउद्दीन कौम सैयद के नाम खतियान में दर्ज है। 16.06.2021 को जारी स्टेटमेंट VI में शंकर उरांव द्वारा वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने के कारण उन्हें रैयत मान्यता नहीं दी गई। 22.10.2022 को CCL की बैठक में उन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर राजस्व प्राधिकरण से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्लॉट संख्या 443 (खाता संख्या 41) की 0.08 एकड़ भूमि वनभूमि है और खाता संख्या 31 से संबंधित नहीं है।

5. प्रकरण के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अभ्यावेदक श्री सुशील उरांव को सूचना हेतु भेजा गया था जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक ने दिनांक 28.03.2025 एवम् 12.06.2025 को रिजोइंडर भेज कर असहमति व्यक्त की है|

6. आवेदक के पत्राचार एवम् मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 08.10.2025 को सिटिंग निर्धारित की गई ।तदनुसर समन दिनांक 30.09.2025 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, उपायुक्त, राँची (झारखंड) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राँची (झारखंड) को भेजा गया । अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई ।

7. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, राँची तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राँची अनुपस्थित रहे । अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, की ओर से महाप्रबंधक (एचआर/एमपी एवं आईआर) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड उपस्थित हुईं । आवेदक सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे ।

8. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं —

(i)आवेदक, भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी अभिलेखों सहित उपायुक्त, राँची के समक्ष अपनी वैधता साबित करने के लिए आवेदन करें। उपायुक्त, जिला - राँची उक्त मामले की जाँच कर, प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

आशा लकड़ा
17/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3316/JH/145/2024-RO-RNC RU IV

Sitting to be held on **08.10.2025 at 02:10 P.M**- अभ्यावेदक **श्री सुशील उरांव,** पिता स्वश्री बुधुवां उरांव ., न्यू शांति नगर, पोखलारी -., थाना मैक्लुस्किगंज जिला विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के "से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखण्ड)राँची - "खरीद बिक्री करने के संबंध में लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर (बाहरी)जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7			
II	**Officers from O/o Chairman and Managing Director, CCL, Ranchi**		
1.	[illegible]	CCL, HQ [illegible] 7974757467	[illegible]
2.	Navnit Jha	CCL HQ 9770041950	[signature]
3.	Manish Kongari	CCL HQ 9110199173	[signature]
4	Vengala Krupakar	CCL, NK Area. 9533344940	[signature]
III	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.			
2.			
3			
4.			
IV	**Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, Ranchi**		
1.			
2.			
3.			
4.			
VI	**Petitioners**		
1.	Sushil oraon	9873997313	Sushil oraon
2.			
3.			